भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

सं. हिंदी-2011/रा.भा.1/4/1 दिनांक 12 .9.2011

विषय: **हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में कार्य करना.**

राजभाषा नियमों के अंतर्गत बोर्ड कार्यालय 'क' क्षेत्र में आता है. रेलवे बोर्ड कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है और नियम 8(4) के अंतर्गत बोर्ड कार्यालय में हिंदी में कार्य करने के लिए विषय भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न). बोर्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं. कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार आप हिंदी में प्रवीण हैं, अत: आप विनिर्दिष्ट विषयों में हिंदी का प्रयोग करें.

संलग्नक : यथोक्त

(वी.के.गुप्ता)
सचिव, रेलवे बोर्ड.

श्री ------------------------
प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी

राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अनुपालन में
विनिर्दिष्ट किए गए विषय
(रेलवे बोर्ड कार्यालय)

* * * * * *

1. "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले सभी पत्रादि हिंदी में भेजना.
2. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही देना.
3. राजभाषा कानून की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रलेख द्विभाषी रूप से जारी करना.
4. "क" तथा "ख" क्षेत्रों से अंग्रेज़ी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना.
5. किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में देना.
6. मानक मसौदों के माध्यम से भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में जारी करना.
7. छुट्टी के आवेदन पत्र.
8. पास/पीटीओ के आवेदन पत्र.

9 अग्रिम के लिए आवेदन पत्र

10. रजिस्टरों में प्रविष्टियां
11. हाथ से लिखे जाने वाले नोट
12. उपस्थिति पंजिका में नाम/हस्ताक्षर .
13. दौरा कार्यक्रम
14. टी.ए./डी.ए.बिल
15. अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण नोट में राजभाषा की प्रगति का उल्लेख
16. क्षेत्र "क" तथा "ख" को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते
17. सेवा पुस्तिकाओं में इंदराज
18. नियुक्ति पत्र
19. पदोन्नति मामले
20. वरीयता सूची
21. अनुशासन और अपील संबंधी मामले.
22. मस्टर शीट एवं वेतन बिल.